राजस्थान सरकार

कार्यालय संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इं.गा.न.प. बीकानेर।

क्रमांक :– प.17(3955) आक्षेवि/रेगु/2016/458 दिनांक :– 19.08.2016

मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ जं.।	मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर	अति. मुख्य अभियन्ता इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर	अति. मुख्य अभियन्ता सत. एवं रेगुलेशन, इंगानप, बीकानेर

विषय :– इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 22.8.2016 सायं 6 बजे से 17.9.2016 प्रातः 6 बजे तक चलाने हेतु समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम।

प्रसंग :– मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर) हनुमानगढ़ पत्रांक : एफ.4/रेगु/14बी/1314 दिनांक 16.8.2016

महोदय,

इस कार्यालय के समसंख्यक पत्रांक 401–404 दिनांक 26.7.2016 द्वारा वर्तमान में प्रभावी चक्रीय कार्यक्रम की निरन्तरता में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन (उत्तर), हनुमानगढ़ के प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित चक्रीय कार्यक्रम जिसके तहत इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को दिनांक 22.08.2016 सायं 6 बजे से 17.09.2016 प्रातः 6 बजे तक तीन समूहों में विभक्त कर एक समय में एक समूह को चलाया जाकर सात रोजा बारी सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने के प्रस्तुत प्रस्ताव का मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना, बीकानेर एवं अति. मुख्य अभियन्ता, इन्दिरा गांधी नगर परियोजना, जैसलमेर से प्राप्त सहमति के आधार पर एत्द द्वारा अनुमोदन किया जाता है।

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना की नहरों को चलाने हेतु अनिवार्य आवश्यकता एवं समूहों का विवरण वर्तमान कार्यक्रम अनुसार ही रखा जायेगा तथा समूहों की वरियता एवं चक्रीय कार्यक्रम परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

अनुमोदित चक्रीय कार्यक्रम में किसी भी स्तर पर कोई भी परिवर्तन आयुक्त की पूर्व अनुमति बिना नहीं किया जाये।

इन्दिरा गांधी फीडर एवं इन्दिरा गांधी मुख्य नहर तथा इनसे निकलने वाली समस्त नहरों के हैड रेगुलेटरों पर निर्धारित मात्रानुसार पानी उपलब्ध करवाने का उत्तरदायित्व अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सतर्कता एवं रेगुलेशन इंगानप, बीकानेर का होगा।

संबंधित मुख्य अभियन्तागण इस चक्रीय कार्यक्रम का जन साधारण की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार प्रसार करवायेंगे।

सिंचाई हेतु जल उपलब्धता की समीक्षा की जाकर नहरों में पानी चलाये जाने के चक्रीय कार्यक्रम के प्रस्ताव समय पर प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करावें ताकि आगामी चक्रीय कार्यक्रम समय पर जारी किया जा सकें।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

भवदीय

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

\\C3-new\e\WORD\REG-LTR Date 04-06-2016.doc

क्रमांक :– प.17(3955) आक्षेवि / रेगु / 2016 / 459 दिनांक :– 19.08.2016

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :– (उक्त कार्यक्रम ई–मेल द्वारा प्रस्तुत / प्रेषित है एवं विभागीय वेबसाईट www.cad.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध है)।

1. शासन सचिव (मुख्य मंत्री) मुख्य मंत्री कार्यालय राजस्थान, जयपुर।
2. शासन सचिव, जल संसाधन, राज. जयपुर।
3. शासन सचिव, सीएडी एवं जल उप. विभाग, राज. जयपुर।
4. अध्यक्ष, इन्दिरा गांधी नहर मण्डल, जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, बीकानेर / जोधपुर।
6. जिला कलेक्टर, बीकानेर / श्रीगंगानगर / जैसलमेर / हनुमानगढ़ / चुरू / जोधपुर / नागौर / बाड़मेर।
7. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर।
8. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना–II, जन स्वा. अभि. विभाग, चूरू।
9. अति. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, बीकानेर।
10. अति. मुख्य अभियन्ता, परियोजना, जन स्वास्थ्य अभि. विभाग, चूरू।
11. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, नागौर लिफ्ट परियोजना वृत, नागौर।
12. अधीक्षण अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभि विभाग, बाड़मेर लिफ्ट परियोजना वृत, बाड़मेर।
13. संयुक्त निदेशक कृषि, बीकानेर / श्रीगंगानगर।
14. उप निदेशक, कृषि एवं भू–सर्वेक्षण, बीकानेर।
15. उप निदेशक, कृषि विस्तार, सीएडी, इंगानप, बीकानेर।
16. जन संपर्क अधिकारी, बीकानेर / श्रीगंगानगर / हनुमानगढ़ / चूरू / जैसलमेर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त कार्यक्रम का प्रमुख समाचार पत्रों में जन साधारण की जानकारी हेतु जनहित में प्रकाशित करवाकर समुचित प्रचार प्रसार करावें।
17. निजी सचिव कृते आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इंगानप, बीकानेर।

भवदीय

संभागीय आयुक्त एवं पदेन आयुक्त,
क्षेत्रीय विकास, इंगानप,
बीकानेर।

परिशिष्ट "ब"

फसल खरीफ 2016 के दौरान दिनांक 22.08.2016 सायं 6:00 बजे से दिनांक 17.09.2016 प्रातः 6.00 बजे तक नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाने हेतु "अनिवार्य आवश्यकता, समूहों का विवरण एवं चक्रीय कार्यक्रम"

समय : इंदिरा गांधी मुख्य नहर की आरडी 620 पर

क्र.सं.	अवधि (इगामुन की आरडी 620)	ग्रुपों का वरियता समूह		
1	22.08.2016 (सायं 6.00 बजे) से 31.08.2016 (प्रातः 6.00 बजे) तक	स	अ	ब
2	31.08.2016 (प्रातः 6.00 बजे) से 08.09.2016 (सायं 6.00 बजे) तक	अ	ब	स
3	08.09.2016 (सायं 6.00 बजे) से 17.09.2016 (प्रातः 6.00 बजे) तक	ब	स	अ

नोट :–

1.	छोटी नहरों का रोटेशन साढे सात दिन में पूरा हो जाने के कारण उन्हें साढे सात दिन चलाने के बाद बन्द कर दिया जायेगा। शेष 1 दिन मुख्य नहर व शाखाओ के क्रॉस रेगूलेटर पर वांछित जल स्तर बनाये रखने हेतु होगा।
2.	उपरोक्त दर्शाया गया समय इंदिरा गांधी मुख्य नहर की बुर्जी संख्या 620 का है। अन्य हैडो पर पानी पहुंचने में लगने वाले समय को दृष्टिगत रखते हुए रेगुलेशन किया जायेगा।
3.	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय यदि प्रथम समूह की वरीयता की नहरों को आवश्यकता से अधिक जल प्राप्त होता है तो द्वितीय एवं तृतीय वरीयता समूह की जो भी नहरें चलनी चाहिए उनके लिए ही पानी छोड़ा जावेगा। यदि मांग पत्र (इन्डेंट) को संशोधित करवाने की आवश्यकता हो तो अधिशाषी अभियन्ता, रेगुलेशन खण्ड प्रथम, हनुमानगढ़ अपने स्तर पर संबंधित अधिशाषी अभियन्ता, से सम्पर्क कर उनके द्वारा प्रेषित मांग पत्र को संशोधित करवाकर ही पानी छोड़े। मांग पत्र में संशोधन दूरभाष पर वार्त्ता कर लिया जावें।
4	नहरों को 3 में से 1 समूह में चलाते समय सिंचाई हेतु प्रथम वरीयता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पोंडस को डिप्लीट करके पूरा किया जावेगा। अगर फिर भी प्रथम वरीयता को आवश्यकता से कम पानी उपलब्ध होता है तो पानी की कमी का बंटवारा प्रथम एवं द्वितीय चरण की नहरों में आनुपातिक रूप से किया जावेगा।
5	नहरों को 3 में से 1 समूह चलाते समय यदि प्रथम वरीयता समूह की नहरों को चलाने के पश्चात् पानी शेष रहता है तो पूर्व में प्रथम वरीयता में प्रभावित नहरों की वरीयता द्वितीय एवं तृतीय वरीयता वाली नहरों से भी उपर होंगीं, किन्तु ऐसा करते समय संबंधित मुख्य अभियन्ता यह सुनिश्चित् करेगें कि रेगुलेशन प्रोग्राम में निर्धारित उनके अधिकृत हिस्से से अधिक पानी का उपयोग नहीं करेगें।
6	"0" आर.डी. मसीतांवाली हैड पर पानी कम उपलब्ध होने की स्थिति में आयुक्त क्षेत्रीय विकास, इगानप, बीकानेर के आदेश क्रमांक 2394 दिनांक 20.10.07 की पालना की जाकर इन्दिरा गांधी नहर परियोजना स्टेज प्रथम एवं द्वितीय में पानी की कमी का वहन आनुपातिक रूप से किया जावेगा।